



व्यापार की योजना

पर

आय सृजन गतिविधि

कटाई और सिलाई

के लिए

स्वयं सहायता समूह -बाबा कमलाहिया



एसएचजी/सीआईजी नाम
वीएफडीएस नाम
रेंज
मंडल

बाबा कमलाहिया
नलियाणा
कमलाह
जोगिन्द्रनगर

के तहत तैयार-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

सामग्री की तालिकाएँ

क्रमांक।	विवरण	पृष्ठ क्रमांक.
1.	परिचय	3
2.	विवरणएसएचजी/सीआईजी का	4
3.	लाभार्थियोंविवरण	5
4.	भौगोलिकगांव का विवरण	6
5.	बाजार की संभावना	6
6.	कार्यकारिणीसारांश	7
7.	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	7
8.	उत्पादन का विवरणप्रक्रिया	7
9.	संकट विश्लेषण	7
10.	विवरणसदस्यों के बीच प्रबंधन का	7-8
11।	विवरणअर्थशास्त्र का	8-9
12.	स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था	10
13.	निधि के स्रोत	10
14.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	11
15.	ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना	11
16.	किनाराकर्ज का भुगतान	11
17.	निगरानीतरीका	11
18.	टिप्पणी	12
19.	समूह सदस्य की तस्वीरें	12
20.	समूह फोटो	13
21.	संकल्प-सह-समूह सर्वसम्मति प्रपत्र	14
22.	वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यावसायिक अनुमोदन	15

1. परिचय-

कटिंग और टेलरिंग को कपड़ों की सिलाई के रूप में भी जाना जाता है। कटिंग और टेलरिंग के इस कौशल का उपयोग सूट, रूमाल और सभी आयु समूहों के विभिन्न शैलियों के विभिन्न कपड़े पहनने के लिए किया जाता है, घरेलू उत्पाद जैसे टेबल कवर, पर्दे आदि ग्रामीण भारत में मुख्य रूप से महिलाओं के बीच एक आम घरेलू गतिविधि है। अधिकांश महिलाएं इस IGA से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे इसे अपने खाली समय में और साथ ही साथ अन्य घरेलू कामों के साथ खुशी से करती हैं। उनके द्वारा इसे स्वयं करने का एक कारण पैसा बचाना है। इस SHG की महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने इस गतिविधि को IGA के रूप में चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और मुश्किल समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। SHG के रूप में पहले से मौजूद विभिन्न आयु वर्ग की 08 महिलाओं का एक समूह भी JICA परियोजना का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आया

इस IGA (आय सृजन गतिविधि) में शामिल होने से पहले बाजार की संभावनाओं और विभिन्न पहलुओं पर बहुत सावधानी से चर्चा करने के बाद बाबा कमलाहिया SHG समूह ने सामूहिक रूप से कटिंग और टेलरिंग को अपनी आय सृजन गतिविधि (IGA) के रूप में चुनने का फैसला किया है। बाबा कमलाहिया SHG का गठन 1999 में हुआ था। 05-08-2021 हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त) के तहत, जो वीएफडीएस नाल्याना के अंतर्गत आते हैं। इस एसएचजी में 08 महिलाएं हैं। इन महिलाओं को पहले से ही कटाई और सिलाई का थोड़ा बहुत अनुभव था और अब इस परियोजना के वित्तपोषण, प्रशिक्षण और सहायता की मदद से वे इस कौशल को विकसित करेंगी और पेशेवर बनेंगी। वे कपड़े सिलने में सक्षम होंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी और आय अर्जित करेंगी। इस एसएचजी की विस्तृत व्यावसायिक योजना इसकी निवेश क्षमता, विपणन और प्रचार रणनीति के अनुसार तैयार की गई है और विस्तृत कार्य योजना पर नीचे चर्चा की जाएगी:

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण –

1.	एसएचजी/सीआईजी नाम	बाबा कमलाहिया
2.	वीएफडीएस	नलियाणा
3.	रैंज	कमलाह
4.	मंडल	जोगिंदर नगर
5.	गाँव	नलियाणा
6.	ब्लॉक ऑफिस	धरमपुर
7.	ज़िला	मंडी
8.	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	08
9.	गठन की तिथि	05-08-2021
10.	बैंक खाता सं.	33210107460
11.	बैंक विवरण	एचपीएससीबी तिहरा
12.	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	400(50 प्रति व्यक्ति)
13.	कुल बचत	9800
14.	कुल अंतर ऋण	-
15.	नकद क्रेडिट सीमा	-
16.	पुनर्भुगतान स्थिति	-

3. लाभार्थियों का विवरण -

क्रमांक ।	नाम	एम /ए फ	पिता/ पति का नाम	वर्ग	पद का नाम	संपर्क नंबर।
1	अंजू देवी	एफ	सुख राम	सामान्य	अध्यक्ष	7807515164
2	प्रीता देवी	एफ	संजय कुमार	सामान्य	सचिव	7807725088
3	अंजना कुमारी	एफ	अंकु	सामान्य	सदस्य	9805701992
4	अनीता देवी	एफ	सुख देव	सामान्य	सदस्य	9418426385
5	किरना देवी	एफ	रमेश चंद	सामान्य	सदस्य	7876241424
6	किरना कुमारी	एफ	विजय कुमार	सामान्य	सदस्य	9816722802
7	वंदना देवी	एफ	हाकम चंद	सामान्य	सदस्य	8580973687
8	विमला देवी	एफ	राज कुमार	सामान्य	सदस्य	9816722802

4. गांव का भौगोलिक विवरण -

1	जिला मुख्यालय से दूरी	120 किमी
2	मुख्य सड़क से दूरी	1 किमी
3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	गढ़ीधर -4 किमी
4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	तिहरा - 6 किमी
5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	मंडी - 120 किमी सरकाघाट - 35 किमी धरमपुर- 25 किमी सैंडहोल -25 किमी
6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	सरकाघाट, धरमपुर, संघोल, अवाह देवी

5. बाजार संभावना -

कटाई और सिलाई का कौशल सीखने के बाद, यहबाबा कमलाहियाSHG अपने क्षेत्र और आस-पास के गांवों की स्थानीय आबादी को लक्षित करेगा। फैशन में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ बाजार में बहुत संभावनाएं हैं, सिलाई वाले कपड़ों की मांग पूरे साल रहेगी। अलग-अलग मौसम होते हैं और उनमें अलग-अलग तरह के कपड़ों की जरूरत होती है, जो यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय टिकाऊ रहेगा क्योंकि पूरे साल मांग रहेगी। त्योहारों या शादियों के मौसम में इस SHG के ग्राहकों की संख्या में उछाल देखने को मिलेगा।

1	संभावित बाजार स्थान/स्थान	कवर किया गया गांव - नलियाना
2	सिलाई कार्य की मांग	वर्ष भर त्योहारों और विवाह के अवसरों पर इसकी मांग अधिक रहती है।
3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह के सदस्य आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
4	विपणन रणनीति	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे तौर पर आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं से ऑर्डर लेंगे (व्यक्तिगत स्तर/समूह स्तर)।

6. कार्यकारी सारांश-

इस स्वयं सहायता समूह द्वारा कटिंग और टेलरिंग आय सृजन गतिविधि का चयन किया गया है। यह IGA इस SHG की सभी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह व्यवसायिक गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सालाना की जाएगी। सदस्य इस गतिविधि को अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन अब वे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस गतिविधि को थोड़े बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। इस समूह द्वारा शुरुआत में विभिन्न प्रकार के सूट सिलने का काम किया जाएगा। ग्राहकों की मांग के अनुसार सूट सिलने का काम किया जाएगा। सदस्यों के बीच श्रम विभाजन की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई है, ताकि प्रत्येक सदस्य आईजीए को मजबूत करने में योगदान दे सके और परिणामस्वरूप अतिरिक्त धन उनकी जेब में आ सके।

7. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण-

1	उत्पाद का नाम	सिला हुआ सूट
2	उत्पाद पहचान की विधि	समूह के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	हाँ

8. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण -

1	समय लिया	एक सूट तैयार करने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं।
2	शामिल महिलाओं की संख्या	सभी महिलाएं
3	कच्चे माल का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
4	अन्य संसाधनों का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
5	प्रतिदिन अपेक्षित सिले हुए सूट	16 आरंभ में इकाइयाँ

9. संकट विश्लेषण-

कौशल आधारित
मांग संचालित
अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

कुछ लोग काटने में शामिल होंगे।

अन्य लोग सिलाई में लगे रहेंगे।

कुछ लोग सिले हुए सूटों की अंतिम फिनिशिंग में लगे रहेंगे।

और अन्य अंतिम उत्पाद की उचित इस्त्री और पैकिंग में होगा।

11. अर्थशास्त्र का विवरण –

ए. पूंजीगत लागत				
क्रमांक	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	राशि (रु.)
1	उमरेला सिलाई मशीन मोटर के साथ	2	12500	25000
2	बिना मोटर की सिलाई मशीन	6	7500	45000
3	इंटरलॉक मशीन	1	8500	8500
4	दर्जी कैंची	8	450	3600
5	टेलरिंग रूलर सेट	8	450	3600
6	सिलाई दर्जी टेप	8	60	480
7	आयरन प्रेस हैवेल्स	2	1500	3000
9	कांटा	2सेट	200	400
10	कुर्सियों	8	800	6400
11	कपड़ा काटने की मेज	1	3500	3500
कुल पूंजी लागत (ए) = 99,480 रुपये				

बी. आवर्ती लागत					
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
1	सिलाई धागे	उत्तर	रास	रास	7000
2	कमरे का किराया	महीना	1	1000	1000
3	पैकेजिंग सामग्री	महीना	रास	रास	2500
4	परिवहन	महीना	रास	रास	1000
कुल आवर्ती लागत (बी) = 11,500					

नोट – समूह के सदस्य स्वयं कार्य करेंगे, इसलिए श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। शामिल किया गया है और सदस्य आपस में कार्यसूची का प्रबंधन करेंगे पालन किया।

सी. उत्पादन लागत (मासिक)		
क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	कुल आवर्ती लागत	11,500
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यहास	99,48
कुल = 21448		

डी. विक्रय मूल्य गणना			
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा
1	साधारण सूट	1	250-300
2	अन्य (प्लाजो, अस्तर आदि)	1	350-400

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)		
क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यहास	9948
2	कुल आवर्ती लागत	11,500
3	प्रति माह कुल सिले हुए सूट	300
4	सिले हुए सूट का विक्रय मूल्य (प्रति सूट)	300
5	आय पीढ़ी	81,000
6	शुद्ध लाभ (आय सृजन - आवर्ती लागत)	69,500
7	शुद्ध लाभ का वितरण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लाभ को मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। ✓ लाभ का उपयोग आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा

12. स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था -

क्रमांक।	विवरण	कुल राशि (₹.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	99,480	74,610	24,870
2	कुल आवर्ती लागत	11,500	0	11,500
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	1,00,000	1,00,000	0
कुल		2,10,980	174,610	36,370

टिप्पणी:

- i) पूंजीगत लागत- 50% पूंजीगत लागत परियोजना द्वारा तथा 50% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
- ii) आवर्ती लागत - स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
- iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

13. निधि के स्रोत -

परियोजना समर्थन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ यदि सदस्य सामान्य श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 75% वहन किया जाएगा। यदि सदस्य सामान्य श्रेणी के हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 50% वहन किया जाएगा। ❖ स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। ❖ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। ❖ 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को नियमित आधार पर मूलधन की किरतों का भुगतान करना होगा। 	खरीद मशीनों/उपकरणों का निर्धारण संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी निर्देशों का पालन करने के बाद किया जाएगा। मूंगा औपचारिकताएं.
एसएचजी योगदान	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सामान्य श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए पूंजीगत लागत का 50% या 25% क्रमशः स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। ❖ आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी। 	

14. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन –

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।
निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ◇ कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद
- ◇ गुणवत्ता नियंत्रण
- ◇ पैकेजिंग और विपणन
- ◇ वित्तीय प्रबंधन

15. ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना -

$$\begin{aligned} &= \text{पूँजीगत व्यय}/(\text{विक्रय मूल्य (प्रति सूट)}-\text{उत्पादन लागत (प्रति सूट)}) \\ &= 99480 / (300-100) \\ &= 497 \end{aligned}$$

इस प्रक्रिया में 994 सूट सिलने के बाद ही लाभ-हानि की स्थिति प्राप्त की जाएगी।

16. बैंक ऋण चुकौती -

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- ◇ सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- ◇ सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ◇ परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी तथा यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

17. निगरानी विधि -

- ❖ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- ❖ स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

निगरानी के लिए कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

- ◇ समूह का आकार
- ◇ निधि प्रबंधन
- ◇ निवेश
- ◇ आय पीढ़ी
- ◇ उत्पाद की गुणवत्ता

18. टिप्पणी -

लेकिन सदस्य निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं और वे 25% योगदान कर सकते हैं तथा परियोजना को शेष 75% वहन करना होगा।

19.समूह सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीरें -



Preeta devi

Aju Devi

Anita Kumari



Kirana Kumari

Anjana Kumari

Bimla Devi



Vandana Kumari



Kiran Kumari

20. समूह फोटो



20. संकल्प-सह-समूह सर्वसम्मति प्रपत्र -

Resolution-cum-Group-consensus Form

It is decided in the General house meeting of the group Baba Kamlahiya held on 16-12-2024 at Nalyana that our group will undertake the Cutting & Tailoring as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).

गीता देवी
Signature Of group President
पञ्जाब प्रदेश सरकार, नल्याणा
स्वयं सहायता समूह, जिला मण्डी हि

Amul Devi
Signature Of group secretary
पञ्जाब प्रदेश सरकार, नल्याणा
स्वयं सहायता समूह, जिला मण्डी हि

[Signature]
Signature of President VPDS
डॉ. केशव नल्याणा सहस्रील धर्मपुर
जिला मण्डी (हि० प्र०)

21. वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यावसायिक अनुमोदन-

Business Plan Approval by VFDS and DMU.

Baba Kamla Jiya Group will undertake the C+T as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted). In this regard business Plan of Amount Rs. 21098.01 has been submitted by the group on 16-12-2024 and the Business Plan has been approved by VFDS Nalyana.

Business Plan is submitted to DMU through FTU for further action please.

Thank You.

प्रीता देवी

Signature Of group President

Arjit Deka सचिव
Signature Of group secretary
जय बाबा
स्वयं सहायता समूह
उप-सह विहार


Signature of President, VFDS
शाकघर नल्याणा एहसील धर्मपुर
मन्सा मण्डी (हि० प्र०)


Approved
DMU-Cum-DFO
J/Nagar
DMU cum DFO Joginder Nagar